पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 का आपराधिक विविध संख्या 26680

भागलपुर शिकायत वाद सं.-877 वर्ष-2016 जिला-भागलपुर

==

1. बेबी देवी, पति स्वर्गीय ध्रुव नारायण प्रसाद
2. सुनील कुमार,
3. अनिल कुमार, दोनों पिता जगदीश नोनिया , सभी निवासी गाँव-जामगाँव, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर हैं।

...............याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य सरकार
2. संजीव कुमार, पिता- स्वर्गीय माधो लाल मंडल, निवासी वर्तमान में हुसैनाबाद, जगदम्बा चौक, थाना.-मोजाहिदपुर, जिला-भागलपुर, स्थायी निवासी गाँव-जामगोन, थाना.-जडिशपुर, जिला-भागलपुर।

.... विपक्षीगण

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री संजय कुमार अधिवक्ताः
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	श्री अरुण कुमार तिवारी, अधिवक्ता
		श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ताः
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री इंद्र कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

==

याचिका- *इस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 354B, 379, 504/149 के तहत आरोपों की स्वीकृति दी गई थी और ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आरोपित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन भेजा था।*

निर्णय- *हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दो मामले दायर किए गए थे, लेकिन केवल इन मामलों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब उनके आरोपों का समर्थन करने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध हैं और शिकायत दर्ज करने में देरी के बारे में भी एक उचित स्पष्टीकरण है। - शिकायतकर्ता ने अपनी काउंटर हलफनामा के साथ संबंधित दस्तावेज दायर किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि उसने कथित घटना के उसी दिन संबंधित पुलिस थाने में संपर्क किया था। उसी दिन, पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए अस्पताल भेजने के लिए एक लिखित आवेदन किया गया था। आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया। - इसके अलावा, संलग्न दस्तावेजों से शारीरिक हमले का आरोप कुछ हद तक समर्थित है और शिकायत में शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए उक्त मजबूर स्थिति में शिकायत दायर की जा रही थी। (पैरा 5)*

न्यायिक अधिकारी *किसी अपराध की शिकायत प्राप्त करने पर उस अपराध के तथ्यों पर संज्ञान ले सकते हैं और उक्त प्रावधान में ऐसी शिकायत के समर्थन में किसी हलफनामे की आवश्यकता नहीं है, और इस मामले में, शिकायत में शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट से आरोपितों के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लेने की प्रार्थना की है, और कोई प्रार्थना नहीं की गई थी कि शिकायत को जांच के लिए आईपीसी की धारा 156(3) के तहत भेजा जाए। - इसके अतिरिक्त, हलफनामे की आवश्यकता का उद्देश्य केवल उस व्यक्ति को और अधिक जिम्मेदार बनाना है जो आवेदन दायर करता है और प्रार्थना करता है कि उसे आईपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस के पास भेजा जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति को केवल दूसरे को परेशान करने के उद्देश्य से निरर्थक आवेदन दायर करने से रोका जा सके। - जब न्यायिक अधिकारी स्वयं शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 200 के तहत कार्यवाही करते हैं, तो उन्हें पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों का शपथ पर परीक्षण करना होता है और केवल इसके बाद या पूछताछ या जांच के बाद, समन आदेश पारित किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में शिकायत के प्रारंभिक चरण में शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत के समर्थन में हलफनामा न दायर करना उसके मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता। (पैरा 5)*

सह-आरोपी व्यक्तियों ने उसी आदेश को चुनौती दी, जो वर्तमान मामले में चुनौती दी जा रही है, और इसके बाद न्यायालय की समन्वित पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि सह-आरोपियों को समन करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य मौजूद

थे और आरोप की प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला सह-आरोपियों से अलग नहीं किया जा सकता। (पैरा 6)

याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 6)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

07-01-2025 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार तिवारी और राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री इंद्र कुमार सिंह को सुना।

2. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में दं प्र सं) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2016 के शिकायत मामला संख्या 877 में भागलपुर के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित दिनांक 27.10.2016 आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा अपराधों का संज्ञान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323,354बी, 379, आई. पी. सी (संक्षेप में 'भा द वि ') के तहत मामला दर्ज किया गया है और विद्वान निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री संजय कुमार ने मुख्य रूप से विवादित आदेश के विरोध में निम्नलिखित आधार लिए हैं।

सबसे पहले, कथित घटना 23.05.2016 पर हुई है जबकि शिकायत 28.05.2016 पर पाँच दिनों की कथित देरी अवधि को बताए बिना दर्ज की गई थी।

दूसरा, याचिकाकर्ता संख्या 1, जो ओ. पी. संख्या 2 के भाई की विधवा और पत्नी है, ने ओ. पी. संख्या 2 द्वारा शिकायत दर्ज करने से पहले ओ. पी. संख्या 2 और अन्य के खिलाफ 2015 का जगदीशपुर थाना कांड संख्या 235 दर्ज किया था और उस मामले की जांच की गई थी जिसमें ओ. पी. संख्या 2 पर आरोप पत्र दायर किया गया था, इसलिए, दुर्भावनापूर्ण इरादे के कारण और ओ. पी. संख्या 2 और अन्य के खिलाफ याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा 2016 का मोजाहिदपुर थाना मामला संख्या 79 दायर करने के बाद, याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के इरादे से ओ. पी. नंबर 2 द्वारा तत्काल मामले की शिकायत दायर की गई थी।

तीसरा, याचिकाकर्ता संख्या 1, जो एक विधवा महिला है, के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं क्योंकि उसके लिए ओ. पी. नं-2 के घर के अंदर कथित घटना को करना संभव नहीं था। जबकि दूसरी ओर ओ. पी. संख्या 2 द्वारा अग्रिम जमानत की राहत के लिए 2016 की आपराधिक विविध वाद संख्या 12468 में सूचना देने वाले (याचिकाकर्ता संख्या 1) को उसके वैवाहिक घर में संपत्ति के अपने हिस्से का आनंद लेने की अनुमति देने के निर्देश के साथ अग्रिम जमानत की राहत दी गई थी और इस संबंध में, उक्त आपराधिक विविध याचिका में पारित 16.03.2016 के आदेश पर विचार किया जा सकता है।

चौथा तत्काल मामला एक शिकायत पर आधारित है लेकिन इसका समर्थन एक हलफनामे के साथ नहीं किया गया था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है । **प्रियंका श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में अदालत ने **(2015) 6 सुप्रीम कोर्ट केशेज 287** में रिपोर्ट दी।

4. दूसरी ओर, ओ. पी. नं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरुण कुमार तिवारी ने मुख्य रूप से इस आधार पर इस याचिका का जोरदार विरोध किया है

कि पहले दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों, धीरज कुमार और नीरज कुमार ने आपराधिक विविध।2017 का सं. 25579 दायर किया जो उसी आदेश के विरुद्ध है जिसे वर्तमान आपराधिक विविध याचिका में उसी अनुरोध के साथ चुनौती दी गई है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय की तत्कालीन समन्वय पीठ द्वारा योग्यता के आधार पर की गई थी और वही इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया गया कि उक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बुलाने के लिए *प्रथम दृष्टया* सामग्री थी।विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सह-आरोपी धीरज कुमार और नीरज कुमार की तुलना में अधिक गंभीर हैं, जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं और शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को ओ. पी. संख्या 2 द्वारा अपनी शिकायत में ही समझाया गया है और आगे, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा ओ. पी. संख्या 2 के साथ किए गए शारीरिक हमले को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं और इस संबंध में, ओ. पी. संख्या 2 के चिकित्सा उपचार को दर्शाने वाले कई दस्तावेज और साथ ही पुलिस द्वारा उसे अस्पताल भेजने का सबूत जवाबी हलफनामे के साथ दायर किए गए हैं।

5. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया। आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्त व्यक्ति ओ. पी. संख्या 2 के घर में घुस गए और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और ओ. पी. संख्या 2 द्वारा किए गए विरोध पर, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को ओ. पी. संख्या 2 और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला करने का निर्देश दिया, इसके बाद, ओ. पी. संख्या 2 और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हमले की घटना हुई और उस दौरान, ओ. पी. नं-2 की पत्नी के साथ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया। ओ. पी. नं. 2 की पत्नी का शील भंग करने के इरादे से उसके कपड़े फारे और एक सोने की चेन और रुपये नकद राशि 7, 000/- अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष से छीन लिए गए।ये आरोप उन अपराधों के लिए प्रासंगिक हैं जिनका संज्ञान लिया गया है। हालाँकि, शिकायत मामला

दर्ज करने से पहले दो मामले पहले याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा और दूसरी याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा ओ. पी. संख्या 2 के खिलाफ दायर किए गए थे, लेकिन केवल इन मामलों के कारण, ओ. पी. संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप, विशेष रूप से जब उनके आरोपों के समर्थन में चिकित्सा साक्ष्य हैं और शिकायत दर्ज करने में देरी के बारे में एक उचित स्पष्टीकरण भी है, तो पूरी तरह से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ओ. पी. नं. 2 ने अपने जवाबी हलफनामे के साथ अनुलग्नक-1 और 2 श्रृंखला के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज दायर किए हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कथित घटना के उसी दिन संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था, यानी उसी दिन याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी द्वारा ओ. पी. नं. 2 की चिकित्सकीय जांच कराने के लिए एक लिखित आवेदन भेजकर सदर अस्पताल, भागलपुर भेजा गया था और उसके बाद, ओ. पी. नं. 2 को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया था, जिसके संबंध में दस्तावेज (जवाबी हलफनामा) की अनुलग्नक-2 श्रृंखला) शपथ पत्र प्रासंगिक हैं, इसलिए, इन परिस्थितियों को देखते हुए, ओ. पी. नं. 2 द्वारा देरी से शिकायत दर्ज करना इस स्तर पर उसके मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं बना सकता है और आगे, अनुलग्नक-2 श्रृंखला कुछ हद तक शारीरिक हमले के आरोप का समर्थन करती है और शिकायत में ओ. पी. नं. 2 द्वारा उल्लेख किया गया है कि पुलिस को जानकारी देने के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए, शिकायत उक्त बाध्य स्थिति में दर्ज की जा रही थी। जहाँ तक शिकायत के साथ शिकायत के आरोपों के समर्थन में ओ. पी. संख्या 2 द्वारा एक हलफनामा दायर करने की आवश्यकता का संबंध है, इस न्यायालय ने पाया है कि **प्रियंका श्रीवास्तव (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि इस निर्दिष्ट निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को देखते हुए, एक हलफनामे की आवश्यकता होती है जब एक आवेदन धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के इरादे

से दायर किया जाता है और धारा 156 के तहत आवेदनों को प्राथमिकता देने की सामान्य प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के हलफनामे की आवश्यकता होती है जहां केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए किसी भी जिम्मेदारी के बिना नियमित और आकस्मिक तरीके से मामले दायर होते हैं। इस संबंध में, उपरोक्त उद्धृत निर्णय का अनुच्छेद संख्या 30 प्रासंगिक है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः .

> **"30.** हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहाँ धारा 156 (3) दं प्र सं आवेदनों को मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी।यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं । इसके अलावा, यह और अधिक परेशान करने वाला और खतरनाक हो जाता है जब कोई उन लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करता है जो एक वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह एक आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ है।

दं प्र सं की धारा 190 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है जो ऐसा अपराध है

और उक्त प्रावधान ऐसी शिकायत के समर्थन में किसी भी हलफनामे की आवश्यकता नहीं बनाता है और तत्काल मामले में, शिकायत में, ओ. पी. संख्या 2 ने निचली अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया और दं प्र सं की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को जांच के लिए भेजने का कोई अनुरोध नहीं किया गया। इसके अलावा, उक्त हलफनामे की आवश्यकता का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार बनाना है, जो दं प्र सं की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेजने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर करता है, ताकि ऐसे व्यक्ति को केवल दूसरे को परेशान करने के इरादे से तुच्छ आवेदन दायर करने से रोका जा सके। जब कोई मजिस्ट्रेट स्वयं धारा 200 दं प्र सं के तहत शिकायत पर आगे बढ़ता है, तो मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करने के लिए बाध्य होता है, जो शपथ पर मौजूद होते हैं और केवल उसके बाद या जांच या जांच के बाद, जैसा भी मामला हो, समन आदेश पारित किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में प्रारंभिक चरण में हलफनामा दायर न करना उसके मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, तदनुसार, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में उपरोक्त आधार पर कोई बल नहीं मिलता है।

6. यहाँ, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों धीरज कुमार और नीरज कुमार ने उसी आदेश को चुनौती दी, जिसे तत्काल मामले में चुनौती दी गई है। आपराधिक विविध।2017 की सं. 25579 में इस न्यायालय की तत्कालीन विद्वत समन्वय पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त सह-अभियुक्त को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री थी और आरोप की प्रकृति को देखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को उक्त सह-अभियुक्त से अलग नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, इस न्यायालय को इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और विवादित

आदेश सही ढंग से पारित किया गया है, इसलिए, यह आपराधिक विविध याचिका खारिज की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।